

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

RTE
10/11/16

19/11/16

क्रमांक:प.9(6)शिक्षा-5/यूनिटकास्ट/2015
निदेशक
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 04/11/16

विषय:- आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2016-17 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।

सन्दर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 में नवप्रवेशित एवं सत्र 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में प्रवेशित तथा कमोन्नति के बाद शैक्षिक सत्र 2016-17 में अध्ययनरत बालकों की फीस का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों का किया जाना है, बालकों के भौतिक सत्यापन के पश्चात गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन प्रार्थित स्कूल वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर प्रविष्टि किया जाना है तथा विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सही पाये जाने के उपरान्त विद्यालय द्वारा क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/डीईओ(भा) कार्यालय में पंजीकृत (एडी)डाक से प्रेषित किये जाने के बाद पुनर्भरण किया जाना है। गैर सरकारी विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में पूर्व में पत्र क्रमांक प.9(6)शिक्षा-5/यूनिटकास्ट/2015 दिनांक 18.11.2015 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. शैक्षिक सत्र 2016-17 में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत निःशुल्क सीटों पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2015-16 में कक्षावार पुनर्भरण की गई फीस अथवा 2015-16 में विद्यालय फीस अथवा 2016-17 की सत्यापित फीस अथवा 2016-17 की यूनिट कास्ट की राशि में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा। विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय की फीस निर्धारित होने पर पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन किया जाएगा।
2. जिन गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2016-17 में पहली बार निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हुआ है लेकिन ये विद्यालय शैक्षिक सत्र 2015-16 अथवा उसके पूर्व के वर्षों से संचालित हैं, ऐसे विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण भी शैक्षिक सत्र 2015-16 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016-17 में सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016-17 की यूनिट कास्ट राशि में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित होने पर किया जाएगा।
3. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो शैक्षिक सत्र 2016-17 में ही प्रारम्भ हुए हैं उन विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2016-17 की सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016-17 की यूनिट कास्ट राशि में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित होने पर किया जाएगा।

4. ऐसे विद्यालय जो किसी एक माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) में शैक्षिक सत्र 2015-16 या इससे पूर्व के वर्षों से संचालित हैं तथा अतिरिक्त माध्यम की मान्यता शैक्षिक सत्र 2016-17 में ली है। इन विद्यालयों के प्रथम माध्यम में अध्ययनरत बालकों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2015-16 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा 2016-17 में सत्यापित फीस अथवा शैक्षिक सत्र 2016-17 की यूनिट कॉस्ट में से जो भी कम है, के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की गई राशि का समायोजन विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय की फीस निर्धारित होने पर किया जाएगा।
5. किसी भी दशा में फीस का पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2016-17 की यूनिट कास्ट की राशि 14,919/- रु (अक्षर चौदह हजार नौ सौ उन्नीस रुपये मात्र) प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
6. शैक्षिक सत्र 2016-17 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 110/-रु प्रतिबालक प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किस्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।
7. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आर टी ई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाएगा।

शासन उप सचिव

कायालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कमांक:- शिविरा/प्रार/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16-17/प्रथम किस्त/7

दिनांक:- 17-11-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें।
7. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शैक्षिक सत्र 2016-17 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण राशि के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.16 में जारी निर्देशों के अनुसार संशोधित क्लेम बिल, आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन बजट जनरेट करने एवं ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया को आरटीई पोर्टल पर प्रारंभ करने का श्रम करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर